

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 12/547

आनन्दा पुत्र रामचन्द्र जाति माली मृतक जरिये कायममुकामान :-

1. कजोडी लाल पुत्र आनन्दा जाति माली निवासी बंदा ।
 2. पार्वती पुत्री आनन्दा पत्नी बद्रीलाल जाति माली निवासी बंदा तहसील सांगोद ।
 3. कैलाश बाई पुत्री आनन्दा पत्नी शिवप्रकाश जाति माली निवासी खजूरी तहसील सांगोद ।
- अपीलान्त

बनाम

1. मूर्ति शेषधरनाथ जी विराजमान फतेहगढी कोटा जरिये महन्त देवेन्द्रदास चेला स्व० महन्त रामचरणदास महन्त फतेहगढी कोटा जिला कोटा ।
2. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला कलक्टर, कोटा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सांगोद जिला कोटा ।

—रेस्पोंडन्ट

अपील संख्या : 12/610

मूर्ति शेषधरनाथ जी विराजमान फतेहगढी कोटा जरिये महन्त देवेन्द्रदास चेला स्व० महन्त रामचरणदास महन्त फतेहगढी कोटा जिला कोटा ।

—अपीलान्त

बनाम

1. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला कलक्टर, कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सांगोद जिला कोटा ।
3. आनन्दा पुत्र रामचन्द्र जाति माली निवासी बन्दा तहसील सांगोद जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :-
 - 3/1. कजोडी लाल पुत्र आनन्दा ।
 - 3/2. पार्वती बाई पुत्री आनन्दा पत्नी बद्रीलाल ।
 - 3/3. कैलाश बाई पुत्री आनन्दा पत्नी शिवप्रकाश जाति माली निवासी बन्दा तहसील सांगोद जिला कोटा ।

—रेस्पोंडन्ट

- उपस्थित :-
1. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, अपील संख्या 12/547 में अपीलान्त की ओर से एवं अपील संख्या 12/610 में रेस्पोंडन्ट की ओर से ।
 2. श्री कैलाश चन्द शर्मा, अभिभाषक, अपील संख्या 12/547 में रेस्पोंडन्ट की ओर से एवं अपील संख्या 12/610 में अपीलान्त की ओर से । ।



निर्णय

दिनांक: 11.02.2019

1. अपीलान्त द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.09.2012 के विरुद्ध पेश की गई हैं ।
2. उक्त दोनों अपीलें एक ही अपीलाधीन निर्णय की होने से तथा समान पक्षकार होने तथा समान प्रकृति की होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग-अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।
3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी मूर्ति शेषधर नाथ जी ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 90, 180 एवं 183 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी मूर्ति शेषधरनाथ जी जिन्हें शिव भगवान भी कहा जाता है के खाते की भूमि वाके ग्राम बंदा तहसील सांगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 121 की 11 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है । यह भूमि वादी की है और वादी शास्वत नाबालिग है जो अपनी भूमि को किसी से भी काश्त करवा सकता है परन्तु उक्त भूमि किसी भी व्यक्ति के खाते दर्ज नहीं हो सकती । प्रतिवादी क्रम 3 इस भूमि पर इयर टू इयर टीनेन्ट हैं जिसकी मियाद समाप्त हो चुकी है । कुछ दिनों पूर्व पता चला है कि उक्त भूमि राजस्व कर्मचारियों ने मिलकर प्रतिवादीगण क्रम 3 ने अपने खाते बंधवा ली है जबकि प्रतिवादी क्रम 3 को कोई भी अधिकार किसी प्रकार से उक्त भूमि के सम्बन्ध में प्राप्त नहीं है । वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वादी के खुदकाश्त में दर्ज है । वादी को तथाकथित गलत इन्द्राज के सम्बन्ध में दुरुस्ती का अधिकार भी प्राप्त है ।
4. अतः वादी का वाद स्वीकार कर वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि से प्रतिवादी क्रम 3 का नाम हटाया जाकर वादी मूर्ति का नाम जरिये व्यवस्थापक एवं संरक्षक दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण क्रम 3 को उक्त भूमि से बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे तथा वादी के पक्ष में 15 गुणा लगान बतौर पेनेल्टी दिलायी जावे ।
5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.09.2012 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी मूर्ति शेषधरनाथ जी महाराज फतेहगढी कोटा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने तथा उक्त भूमि को तहसीलदार अपने कब्जे में लेकर उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा आराजी पर नियमानुसार व्यवस्था कराने के आदेश पारित किये हैं ।




6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलान्धन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.09.2012 से व्यथित होकर वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा अलग-अलग अपीलें प्रस्तुत कर अपील अपीलान्धन स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.09.2012 निरस्त करने का निवेदन किया ।
7. दोनों अपील अपीलान्धन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।
8. अपील संख्या 12/547 में अपीलान्धन के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 01 के निर्णय में विवादित आराजी को रेस्पोडेन्ट क्रम 1 मूर्ति मंदिर माफी की और माफी के रिज्यूम होने पर मूर्ति के खातेदारी की मानने में त्रुटि की है जबकि जागीर कानून 1952 (संवत् 2009) के पहले से ही यानि संवत् 2007 से 2010 की जमाबन्दी में वादग्रस्त आराजी न तो रेस्पोडेन्ट क्रम 1 मूर्ति की, माफी में थी न ही मूर्ति की खातेदारी में थी इसके विपरीत अपीलान्धन व उसक पिता की खातेदारी की भूमि थी । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने जागीर कानून लागू होने तथा जागीर रिज्यूम होने के समय विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट मूर्ति की माफी या खातेदारी में थी का कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया है । इसके अलावा प्रथम बन्दोबन्द में बिना अधिकार के मूर्ति का नाम दर्ज कर दिया था जिसका बन्दोबस्त विभाग को कोई अधिकार नहीं था । बन्दोबस्त के बाद आज तक के राजस्व रिकॉर्ड में कभी भी विवादित भूमि मूर्ति की खातेदारी में नहीं रही है । अधीनस्थ न्यायालय ने जिला कलक्टर कोटा द्वारा तहसील लाडपुरा की भूमि के सम्बन्ध में अन्य पत्रावली में दिये गये निर्णय को अपीलान्धन की भूमि के सम्बन्ध में मानने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेवेन्यू सेक्रेट्री के आदेश के आधार पर भूमि रेस्पोडेन्ट मूर्ति की माफी की मानने में भारी त्रुटि की है जबकि रेवेन्यू सेक्रेट्री का आदेश किस कानून के अन्तर्गत था तथा किसी भूमि के सम्बन्ध में था प्रमाणित नहीं है । सीलिंग कानून के अन्तर्गत चली कार्यवाही के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण में निर्णय देने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है । सीलिंग कानून के अन्तर्गत न तो अपीलान्धन पक्षकार थे और न ही सीलिंग कानून में खातेदारी का निर्णय हो सकता है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्धन का कब्जा है दावा मेन्टेनेबल नहीं था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने दावा डिक्री किया है जो त्रुटिपूर्ण है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्धन के खातेदारी की भूमि है । अतः अपील अपीलान्धन स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.09.2012 निरस्त फरमाया जावे ।
9. अपील संख्या 12/610 में अपीलान्धन के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी मंदिर मूर्ति की है । गलत रूप से प्रतिवादी के नाम दर्ज हो गई थी इस कारण मूर्ति मंदिर ने हक घोषणा का दावा पेश किया था । प्रदर्श- 2 में वादग्रस्त आराजी मंदिर के नाम दर्ज है । खसरा गिरदावरी संवत् 2005 से 2010 में भी शिव भागवान खुद काश्त दर्ज है । अधीनस्थ न्यायालय ने हक घोषणा की सहायता प्रदान की है परन्तु दावा आंशिक रूप से डिक्री कर तहसीलदार को आराजी पर कब्जा लेकर काश्त की व्यवस्था के आदेश दिये हैं जो त्रुटिपूर्ण हैं । रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा बताते हैं परन्तु मूर्ति मंदिर शास्वत नाबालिग है और मूर्ति मंदिर की आराजी पर यदि किस का कब्जा होता है तो मूर्ति मंदिर की ओर से ही माना

जावेगा, न ही मूर्ति मंदिर के हितों के विपरीत क्योंकि मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग होने से स्वयं काशत नहीं कर सकते । आराजी मूर्ति मंदिर शेषधरनाथ जी के नाम से है जिसे शिव भगवान भी कहा जाता है । अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदार सही तरीके से घोषित किया है परन्तु तहसीलदार को काशत की व्यवस्था का जो आदेश पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्त को संभलायी जावे । इन तथ्यों के आधार पर अपील अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपील संख्या 12/547 खारिज की जावे । उन्होंने अपने पक्ष में समर्थन में आरआरडी 2000 पेज 109, आरआरडी 1993 पेज 319, माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय पृथ्वीराज बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आरआरडी 1994 पेज 01 उद्धरत की ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । मूर्ति मंदिर की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में यह दावा बाबत हक घोषणा का वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दावे के समर्थन में नकल जमाबन्दी प्रदर्श- 2 संवत् 2013 से 2032, नोटिस की प्रति प्रदर्श- 3, पेश की हैं । प्रदर्श- 07, 08, 10 सेटलमेंट विभाग की नकलें हैं । पत्रावली पर आदेश प्राधिकृत अधिकारी सीलिंग दिनांक 09.03.1984 प्रति भी संलग्न है । नकल जमाबन्दी संवत् 2053 से 2056 प्रदर्श- 13 संलग्न है ।
11. इसके अलावा पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2011 से 2014 प्रदर्श -डी-1 संलग्न है, नकल आवेदन पत्र प्रदर्श- डी-2, नकल जमाबन्दी संवत् 2007 से 2010 प्रदर्श- डी-3 संलग्न है ।
12. पत्रावली में बयान देवेन्द्र दास पीडब्ल्यू-1, रामप्रताप पीडब्ल्यू-2 एवं डीडब्ल्यू-1 कजोडी लाल कराये गये हैं ।
13. वादी ने यह दावा ग्राम बंदा तहसील सांगोद जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 121 की 11 बीघा 13 बिस्वा भूमि के लिए हक घोषणा का दावा पेश किया है । पत्रावली पर जो नकल जमाबन्दी प्रदर्श- 2 संलग्न है उसमें वादग्रस्त आराजी के लिए संवत् 2013 से 2032 में उपभोक्ता का नाम श्री शिव भगवान मंदिर और कृषक के नाम में आनन्दा वल्द रामचन्द्र दर्ज है ।
14. अपीलान्त प्रतिवादी की आपत्ति यह है कि यह आराजी मंदिर की खुदकाशत की आराजी नहीं है । इस क्रम में उनके द्वारा पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2013 से 2032 की ओर ध्यान आकर्षित करवाया गया जिसमें मंदिर की खुदकाशत की आराजी दर्ज है जो कुल 45 किता की 369 बीघा कुछ बिस्वा है । इस आराजी में वादग्रस्त आराजी शामिल नहीं है । अपीलान्त प्रतिवादी के विद्वान अभिभाषक की यह भी आपत्ति है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उप जिलाधीश एवं सीलिंग अधिकारी के निर्णय का जिक्र किया है जिसमें अपीलान्त पक्षकार नहीं थे और प्रदर्श- 12 जो रेवेन्यू सकेट्री का पत्र है उसमें खसरा नम्बरान अंकित नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में पेश किये गये समस्त राजस्व रिकॉर्ड व खसरा नम्बरान जो कि वादग्रस्त है उनका विश्लेषण नहीं किया है । प्रकरण के निस्तारण के लिए यह आवश्यक है कि जो राजस्व रिकॉर्ड की प्रतियाँ संलग्न की गई हैं उसमें दर्ज खसरा नम्बरान

का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर विश्लेषण कर यह निर्धारित किया जावे कि मूर्ति मंदिर के खुदकाशत एवं खाते की आराजी के खसरा नम्बर क्या हैं व आराजी कितनी है और वादग्रस्त आराजी तदनुसार मूर्ति मंदिर के खाते एवं खुदकाशत की है अथवा नहीं ? प्रस्तुत किये गये समस्त राजस्व रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त ही इस प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित किया जा सकता है ।

15. इन तथ्यों के आधार पर हम प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को नये सिरे से पेश किये गये राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।
16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 12/547 एवं 12/610 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.09.2012 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड का विधिक प्रावधानों के तहत अवलोकन एवं विश्लेषण कर विधि सम्मत रूप से नये सिरे से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 27.03.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।
17. निर्णय आज दिनांक 11.02.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


(भागवती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा